

प्रेषक

मुख्य अभियन्ता,
पंचायती राज, लोक निर्माण, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

प्रेषित

सभी अधीक्षक अभियन्ता,
पंचायती राज (हरियाणा राज्य में)

सभी कार्यकारी अभियन्ता,
पंचायती राज/जिला परिषद (हरियाणा राज्य में)

सभी उपमण्डल अधिकारी,
पंचायती राज (हरियाणा राज्य में)

सभी कनिष्ठ अभियन्ता,
पंचायती राज (हरियाणा राज्य में)

कमांक पी0आर0सी0/2025/1754-86

दिनांक:- 4/4/2025

विषय:-

To compliance regarding competency of technical sanction as per Haryana Govt. Gaz. Notification 09 May 2023.

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में विकास कार्यों बारे हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग अधिसूचना 09 मई 2023 (प्रतिसंलग्न) के तहत नए कार्यों के प्राकलन व रिपेयर/मुरम्मत के कार्यों हेतु अलग-2 तकनीकी शक्तियां प्रदान की गई। प्रायः देखने में आया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिसूचना 09 मई 2023 के तहत जारी हिदायतों की पालना नहीं की जा रही है। रिपेयर/मुरम्मत के कार्यों को भी नए कार्यों की तरह तकनीकी अधिकारियों द्वारा स्वीकृति दी जा रही है। हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग अधिसूचना 09 मई 2023 में विकास कार्यों की तकनीकी स्वीकृति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है :-

Sr.no.	Officer Competency	Original Work	Repair and Maintenance
		Amount (Rs. in lakh)	Amount (Rs. in lakh)
1	Junior Engineer	Upto Rs. 2.00 lakh	Upto Rs. 0.20 lakh
2	Sub Divisional Engineer	Above Rs. 2.00 lakh & upto 25.00 lakh	Above Rs. 0.20 lakh & upto 10.00 lakh
3	Executive Engineer	Above Rs. 25.00 lakh & upto 1.00 Crore	Above Rs. 10.00 lakh & upto 25.00 lakh
4	Superintending Engineer	Above Rs. 1.00 crore & upto 2.50 crore	Above Rs. 25.00 lakh & upto 1.00 crore
5	Chief Engineer	Above Rs. 2.50 crore	Above Rs. 1.00 crore

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग अधिसूचना 09 मई 2023 अनुसार नए कार्यों व रिपेयर/मुरम्मत के कार्यों के प्राकलनों बारे कनिष्ठ अभियन्ता, उपमण्डल अधिकारी व कार्यकारी अभियन्ता पंचायती राज/जिला परिषद, अधीक्षक अभियन्ता पंचायती राज नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित सभी ड्राईंग ब्रांच प्राकलनों को भिजवाने से पूर्व चेक करें। यदि आप द्वारा अधिसूचना 09 मई 2023 के नियमानुसार प्राकलन सम्बन्धित को भिजवाने बारे कार्यवाही नहीं की जाती है तो आप स्वयं व सम्बन्धित ड्राईंग ब्रांच के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

कार्यकारी अभियन्ता,
कृते - मुख्य अभियन्ता,
पंचायती राज, लोक निर्माण हरियाणा,
चण्डीगढ़।

4/4/25